पत्रांक : 09 / व्या0शि0–29 / 2011–...............

शिक्षा विभाग

बिहार, पटना।

प्रेषक,

आर0 बी0 चौधरी, भा0प्र0से0
निदेशक (मा0शि0)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
(शिवहर, कैमूर, अरवल एवं लखीसराय को छोड़कर)।

पटना, दिनांक ....

विषयः– व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत +2 विद्यालयों में पदस्थापित अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायकों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के +2 विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत पदस्थापित अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायकों का सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) का लाभ दिये जाने हेतु वरूण कुमार सिंह, प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश +2 व्यावसायिक शिक्षा, संघ कार्यालय, गर्दनीबाग, पटना द्वारा अनुरोध किया गया है।

नियमानुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) की स्वीकृति के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की सेवा सम्पुष्टि आवश्यक है।

अनुरोध है कि व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत +2 विद्यालयों में पदस्थापित अनुदेशकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की सेवा सम्पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में तैयार कर अपने मन्तव्य के साथ दिनांक–15.07.2013 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) संबंधी कार्रवाई की जा सकें।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(आर0 बी0 चौधरी)
निदेशक (मा0शि0)।

ज्ञापांकः–09 / व्या0शि0–29 / 2011–............... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः– संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक (मा0शि0)।

ज्ञापांकः–09 / व्या0शि0–29 / 2011–............... पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः– संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (मा0शि0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक (मा0शि0)।

ज्ञापांकः–09 / व्या0शि0–29 / 2011–403 पटना, दिनांक 08/07/13
प्रतिलिपिः– वरूण कुमार सिंह, प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश +2 व्यावसायिक शिक्षा, संघ कार्यालय, गर्दनीबाग, रोड नं0–16, अनिसाबाद, पटना–2 को उनके पत्रांक–9 / 2013 दिनांक–16.04.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

4/7/13
निदेशक (मा0शि0)।

D: Prashakha_9_Director Letter.doc/1132

प्रपत्र

1. सम्बन्धित कर्मी का नाम :–
2. पदनाम :–
3. सम्वर्ग का नाम :–
4. भर्ती नियमावली नें परिभाषित पद सोपान एवं स्वीकृत वेतनमान :–
5. सेवा में प्रथम योगदान की तिथि :–
6. सेवा में योगदान के पश्चात् प्राप्त वेतनमानों का विवरण :–
7. सेवा में योगदान के पश्चात् दी गई प्रोन्नति का विवरण :–
8. सविलियन की स्थिति :–
9. प्रोन्नति की देय तिथि के कुल सेवाधि :–
10. प्रथम / द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि एवं वेतनमान :–
11. नियमित प्रोन्नति के लिए विहित परीक्षा प्रशिक्षण या अन्य शर्त्ते पूरी होती है :–
12. सम्वर्गीय प्रोन्नति नहीं दिए जाने का कारण :–
13. सम्बन्धित कर्मी प्रोन्नति के सर्वथा योग्य है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप या अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित नहीं है :–
14. नियंत्री पदाधिकारी का मतव्य :–

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम सहित)